नगर पंचायत भून्तर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **(क) आरम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन (एल0ए0)–खण्ड IV दिनांक 16.10.08 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत भून्तर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री बलजीत डोगरा	1.4.15 से 18.1.16
2	श्री कर्ण सिंह	19.1.16 से लगातार

(ii) सचिवः– अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक निम्नलिखित अधिकारी नगर पंचायत भून्तर में सचिव के पद पर कार्यरत रहें:–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मोहिन्द्र ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी	N.A.
2	श्री मोहन भार्गव तहसीलदार	N.A.
3	श्री एस0पी0 जयसपाल तहसीलदार	N.A.
4	श्री मोहिन्द्र ठाकुर कार्यकारी अधिकारी	N.A.

(ख) नगर पंचायत भून्तर के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि	7	31.82
2	दुकानों के किराये की वसूली योग्य शेष राशि	10	98.32
3	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना दुकान का आबंटन	11.4	–
4	संविदाकारों से बस अडडा फीस की वसूली शेष	12	10.06
5	संविदाकारों से तहबाजारी फीस की वसूली शेष	14	7.04
6	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्ट्रीट लाईट उपकरणों की खरीद	18	7.20

7	गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	19	0.88
8	चार वार्डों की सफाई का ठेका देने पर अनियमितताओं बारे	20	–
9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना भुगतान	22	1.07

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ङ"** पर दर्शाई गई है। नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए जिससे अधिक से अधिक अनिर्णीत पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत भून्तर के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 का अंकेक्षण कार्य श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा 27.6.17 से 7.8.17 के दौरान नगर पंचायत भून्तर में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच हेतु माह 6/15 व 6/16 तथा व्यय के लिए माह 7/15 व 7/16 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत के सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना/अभिलेख व सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि अंकेक्षण का कार्य चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर पंचायत भून्तर, जिला कुल्लू के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के अंकेक्षण करने का अंकेक्षण शुल्क ₹33000 आँका गया है। सचिव नगर पंचायत भून्तर को अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2017-78 दिनांक 5.8.17 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला हिमाचल प्रदेश को भेजने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर पंचायत भून्तर के लेखों अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

वर्ष 2015–16

	Opening Balance	**Receipt**	**Intt.**	**Total**	**Exp.**	**Closing**
Own Source	834230.71	3417025	460993	4712248.71	4012260	699988.71
Grants	15716898.00	8772540	-	24489438	23920180	569258
Total	**16551128.71**	**12189565**	**460993**	**29201686.71**	**27932440**	**1269246.71**

वर्ष 2016–17

	Opening Balance	**Receipt**	**Intt.**	**Total**	**Exp.**	**Closing**
Own Source	699988.71	3682503	112128	4494619.71	4984381	489761.29
Grants	569258.00	14101153	-	14670411	8570001	6100410
Total	**1269246.71**	**17783656**	**112128**	**19165030.71**	**13554382**	**5610648.71**

दिनांक 31.3.2017 तक बैंकों में जमा राशियों का विवरणः–

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	U.B.I.	558002010000049	5586534.03
2	S.B.I.	1103872501	2787.38
3	H.G.B.	88210100051961	27879.00
4	HDFC	50100152349478	20859.00
		कुल	**₹5638059.41**

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

रोकड़ बही के अनुसार 31.3.2017 को अन्तशेष=₹5610648.71

जमाः– चैक जो जारी किए गए परन्तु 31.3.17 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्र0सं0	**चैक नं0**	**राशि**
1	33034608	3200
2	33040050	1880
3	33040051	1200
4	33040053	24000
5	33026434	2000

		32280	(+) 32280
			5642928.71
घटाएंः– (1) चैक जो बैंक में जमा किया गया परन्तु 31.3.17 तक जमा नहीं हुआ			
	चैक संख्या 395189	₹3500	
(ii)	31.3.17 को हस्तगत राशि	₹1369	
(iii)	अन्तर	₹000.30	
		4869.30	(–)4869.30
	31.3.17 को बैंकों में जमा राशि		₹5638059.41

परिशिष्ट "क" में सन्दर्भित विभिन्न बैंक खातों के अतिरिक्त नगर पंचायत भून्तर द्वारा निम्न बैंक खाता भी खोला गया था। इस खाते में किए गए लेन देन का रख रखाव बैंक पास बुक के आधार पर किया गया है। इस खाते के लिए किसी भी प्रकार की रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया गया है। बिना रोकड़ बही में दर्ज राशि एक गम्भीर अनियमितता है तथा किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**31.3.17 को शेष**	**विवरण**
KCC	2041022290	66920	पैन्शन व अन्य सेवा निवृति लाभ **(परिशिष्ट "ख")**

5 निवेशः–

(क) पैन्शन व अन्य सेवा निवृति लाभ से ₹1305697 को सावधि जमा खाते में निवेशित थी **(परिशिष्ट–"ग")** तथा इस सावधि जमा खाते को दिनांक 14.2.2017 को बन्द करके सम्पूर्ण ₹1427536 को खाता संख्या 2041022290 में जमा करवाया गया है।

5.1 अनुदानः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि में प्राप्त व्यय की गई अनुदानों का विवरण **परिशिष्ट "ठ" (i) व (ii)** में दिया गया है।

6 रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः–

नगर पंचायत भून्तर की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा रोकड़ बही को दिनांक 1.1.17 से 31.3.17 तक सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया है (अंकेक्षण समाप्त होने तक)। अतः रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी से सत्यापित न करवाने के कारणों को स्पष्ट किया जाये तथा नगर पंचायत के आहरण एवं वितरण

अधिकारी से रोकड़ बही को सत्यापित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.1 रोकड़ बही में व्यय विवरण दर्ज न करने बारेः–

रोकड़ बही की जाँच पर पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 127 दिनांक 15.10.15 को ₹101400 व्यय की की गई है तथा पृष्ठ संख्या 59 दिनांक 16.11.16 को ₹5680 व्यय की गई है परन्तु उपरोक्त राशियों का व्यय विवरण रोकड़ बही में दर्ज नहीं है। अतः राशियों का व्यय विवरण रोकड़ बही में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 गृहकर की ₹31.82 लाख की वसूली शेषः–

अंकेक्षण को उपलबध करवाई गई **परिशिष्ट "घ"** की सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2017 को गृहकर की ₹3182245 वसूली हेतु शेष थी। वर्ष 2015–16 में केवल 52**%** तथा 2016–17 में केवल 59**%** मांग की राशि की वसूल की गई है। जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष योग की राशि में बढ़ौतरी हो रही है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जो यह दर्शाता है कि नगर पंचायत द्वारा बकाया राशि वसूल करने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे है। अतः नगर पंचायत को उक्त राशि को वसूलने हेतु विशेष अभियान (Special) चला कर बकाया राशि को वसूलने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

7.1 गृहकर की बकाया ₹0.37 लाख कम दर्ज करने बारेः–

गृहकर रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत भून्तर द्वारा 2015–16 व 2016–17 में गृहकर की बकाया राशियों में से ₹36576 वास्तविक गणना से कम दर्ज की गई है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है। अतः गृहकर की बकाया राशियों को वास्तविक गणना से कम दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वर्ष 2015–16 व 2016–17 की बकाया गृहकर की राशियों की गणना ठीक करने के पश्चात वर्ष 2017–18 का आरम्भिक शेष रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए तथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित गृहकर दाता से की जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.2 गृहकर रजिस्टर से प्रविष्टियाँ रद्द करने बारेः–

गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर पृष्ठ संख्या 108 की जाँच में पाया गया कि श्री गारा छौरिंगके नाम दर्ज मकान संख्या 114/110, 115/111 व 116/112 से वर्ष 2015–16 तक क्रमशः ₹632, ₹1055 व ₹1055 की वसूली रसीद संख्या 10/260 दिनांक

8.6.16 द्वारा की गई थी परन्तु वर्ष 2016–17 में गृहकर रजिस्टर में नोट दर्ज करके मकान नं0 115/111 व 116/112 के गृहकर प्रविष्टियों को रद्द करके तीनों मकानों को एक मकान दर्शाकर, मकान नं0 114/110 का गृहकर श्री प्रेम सिंह के नाम दर्ज किया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2017-77 दिनांक 3.8.17 द्वारा तीनों मकानों को एक मकान दर्ज करने व गृहकर का बिल श्री गारा छौरिंग के स्थान पर श्री प्रेम सिंह को जारी करने के कारण व दस्तावेज अंकेक्षण को जाँच हेतु उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया परन्तु सचिव नगर पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी उत्तर अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया न ही सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अतः उपरोक्त विषय की विस्तृत जाँच करने के पश्चात स्पष्टीकरण व दस्तावेज जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 सफाई शुल्क ₹3.06 लाख की वसूली शेष रहने बारेः–

नगर पंचायत भून्तर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.17 तक नगर पंचायत द्वारा सफाई शुल्क की ₹305682 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है। अतः बकाया शुल्क की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

9 तहबाजारी शुल्क ₹22.00 लाख की वसूली शेषः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "छ"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को तहबाजारी शुल्क ₹2199928 वसूली हेतु शेष थी। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रत्येक वर्ष मांग से कम की वसूली की जा रही है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष देय तहबाजारी शुल्क की वसूली बढ़ती जा रही है। जिस हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है।

10 दुकानों के किराये की ₹98.32 लाख की वसूली शेषः–

अंकेक्षण को उपलबध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "ज"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को दुकानों के किराये की ₹9832605 वसूली हेतु शेष थी। दुकानों के किराये की वसूली समय पर न करने के फलस्वरूप प्रति वर्ष देय किराये में बढ़ौतरी हो रही है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा नगर पंचायत द्वारा किराये की वसूली हेतु कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये जा रहे प्रतीत होते है। इसलिए दुकानों के किराये की शेष राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 दुकानों के किराये की बकाया ₹0.12 लाख कम दर्ज करने बारेः–

दुकान किराया मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 व 2016–17 में दुकान के किराए का बकाया राशि के शेष को कम दर्ज किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दुकान नं0	किरायेदार का नाम	वर्ष	दर्शाया गया आरम्भिक शेष	वास्तव में आरम्भिक शेष	अन्तर
1	21	श्री राजेश कुमार	2015–16	3156	5156	2000
2	65	श्री राकेश कुमार	2015–16	1800	7800	6000
3	पृ0सं0 111 वर्ष 2016–17	श्री जगदीश चन्द	2016–17	18420	22380	3960
					कुल	**₹11960**

अतः उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक किरायेदारर के खाते की शेष राशि को अगले वर्ष के खाते में दर्ज करते समय उचित जाँच करना सुनिश्चित किया जाए तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना चाहिए।

11.1 दुकानों की बकाया राशियों पर 9% की दर से ब्याज की गणना न करने बारेः–

नगर पंचायत भून्तर द्वारा मासिक किराये पर Lease पर दी गई दुकानों के "shop Lease deed" की जाँच करने पर पाया गया कि Lease deed" की शर्त संख्या 15 के अनुसार यदि किरायेदार 3 माह तक दुकान का मासिक किराये का भुगतान नहीं करता तो उससे बकाया राशि पर 9**%** की दर से ब्याज लिया जायेगा। नगर पंचायत भून्तर के दुकान किराया मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा किसी भी किरायेदार की बकाया राशि पर ब्याज की गणना नहीं की गई थी, जबकि 31.3.17 को किराए की ₹9832605 वसूलने हेतु शेष थी। अतः बकाया राशि पर ब्याज की गणना करके कुल राशि की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2016-64 दिनांक 10.7.17 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसके उत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा भविष्य में कार्यवाही अमल में लाई जायेगी का आश्वासन अंकेक्षण को दिया गया।

11.2 दुकान का बकाया किराया ₹0.91 लाख व मासिक किराया ₹1650 माफ करने बारेः—

दुकान किराया मांग व वसूली रजिस्टर 2016—17 के पृष्ठ संख्या 103 क्रम संख्या 52 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त दुकान श्री सन्त राम को 11/2009 में दुकान किराये पर दी गई थी जिसका बकाया किराया 31.3.2017 को ₹90700 मासिक किराया ₹1650 प्रतिमाह था। नगर पंचायत भून्तर द्वारा प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 18.3.17 द्वारा उक्त दुकान का बकाया किराया ₹90700 माफ करने का प्रस्ताव पास किया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2017-64 दिनांक 10.7.17 द्वारा इस सम्बन्ध में सचिव, नगर पंचायत से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके उत्तर में नगर पंचायत द्वारा बकाया किराया वसूलने व मासिक किराया प्राप्त करने हेतु कार्रवाई अमल में लाई जायेगी का आश्वासन दिया गया तथा श्री सन्तराम का खाता बन्द नहीं किया जायेगा तथा उसे ओपन रखने का आश्वासन दिया गया। अतः श्री सन्त राम से 31.3.17 तक बकाया किराया ₹90700 की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.3 तहबाजारी के तहत खोखे को पक्का करने के बाद दुकान का किराया कम करने के कारण ₹0.06 लाख की हानि बारेः—

तहबाजारी मांग व वसूली रजिस्टर 2015—16 के अनुसार श्री रघुवीर सोहल को एक खोखा (33X12) ₹990 प्रतिमाह की तहबाजारी पर दिया गया था। श्री रघुवीर सोहल ने दिनांक 5.11.15 को अपने खोखे को पक्का करने का आवेदन नगर पंचायत भून्तर को दिया तथा इस आवेदन के आधार पर नगर पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 19 दिनांक 26.4.16 द्वारा उक्त खोखे को दुकान किराया रजिस्टर में दर्ज करके दुकान का किराया ₹500 प्रतिमाह निर्धारित कर दिया, जबकि तहबाजारी में इस दुकान का किराया ₹990 प्रतिमाह था। दुकान का किराया कम करने के कारण वर्ष 2016—17 में नगर पंचायत को ₹5880 की हानि हुई। अतः उक्त खोखे को पक्का करने की अनुमति किस नियम व प्रस्ताव संख्या के आधार पर दी गई व किराया किस आधार पर कम किया गया का पूर्ण स्पष्टीकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा नगर पंचायत को हुई आर्थिक हानि की वसूली करे अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-64 दिनांक 10.7.17 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसके उत्तर में अंकेक्षण को केवल यह जानकारी दी गई कि दुकान का किराया प्रस्ताव संख्या 19, दिनांक 26.4.16 द्वारा ₹500 प्रतिमाह निर्धारित किया गया।

11.4 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना दुकान का आबंटन करने बारेः–

दुकान किराया मांग व वसूली रजिस्टर 2016–17 की जाँच में पाया गया कि श्री सुधीर सोहल ने दिनांक 5.11.15 को अपनी दुकान की मुरम्मत करने हेतु प्रार्थना पत्र नगर पंचायत भून्तर को दिया था। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर ही दुकान किराया रजिस्टर वर्ष 2016–17 के पृष्ठ संख्या 143 क्रम संख्या 72 में श्री सुधीर सोहल के नाम दुकान का आबंटन दर्ज किया तथा नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 20, दिनांक 26.4.16 द्वारा उक्त दुकान का किराया ₹500 प्रतिमाह निर्धारित किया गया। जाँच में पाया गया कि श्री सुधाीर सोहल के नाम न तो तहबाजारी रजिस्टर में कोई खोखा दर्ज था व न ही दुकान किराया रजिस्टर में कोई दुकान पहले से दर्ज थी। अतः श्री सुधीर सोहल ने किस खोखे/दुकान को पक्का करने का आवेदन नगर पंचायत को दिया व किस आधार पर श्री सुधीर सोहल को दुकान का आबंटन म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के तहत औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना किया गया का पूर्ण स्पष्टीकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा उक्त दुकान का आबंटन रद्द करने की कार्यवाही अमल में लाई जाए।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2017-64 दिनांक 10.7.17 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसके उत्तर में अंकेक्षण को यह जानकारी दी गई कि दुकान का किराया प्रस्ताव संख्या 20 दिनांक 26.4.16 द्वारा ₹500 प्रतिमाह निर्धारित किया गया।

12 संविदाकारों से बस अडडा फीस ₹10.07 लाख की वसूली शेषः–

नगर पंचायत भून्तर द्वारा बस अडडा फीस वसूली हेतु संविदाकारों को वार्षिक ठेका प्रदान किया गया था। नगर पंचायत भून्तर द्वारा प्रदान सूचना अनुसार विभिन्न संविदाकारों से दिनांक 31.3.2017 तक ₹1006750 की वसूली शेष थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Sr.No.	Period	Contractor	Tendred Amt.	Amt. Received	Balance	Remarks
1	22.1.11 to 21.1.12	Sh. Vikram Seth	462000	446500	15500	Audit Para 19 Audit report 4/11 to 3/15

2	22.10.14 to 22.9.15	Sh. Teja Ram	525000	425000	100000	---
3	23.9.15 to 22.8.16	Sh. Gulab Chand	471000	217750	253250	---
4	1.1.17 to 30.11.17	Sh. Tek Chand	968000	330000	638000	---
				Total	**₹1006750**	

अंकेक्षण अवधि की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा संविदाकारों से शेष राशि की वसूली हेतु पत्राचार नहीं किया जा रहा है जोकि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः शेष राशि की वसूली हेतु संविदाकारों से पत्राचार करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) नगर पंचायत भून्तर द्वारा अवधि 1.1.17 से 30.11.17 तक बस अडडा फीस वसूली का ठेका श्री टेक चन्द को दिया गया है जिसकी कुल ₹968000 है तथा इस राशि में से दिनांक 31.3.17 तक ₹330000 की वसूली श्री टेक चन्द (क्र0सं04) से की गई थी तथा ₹638000 वसूली हेतु शेष थी। जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा श्री टेक चन्द के साथ फीस वसूली हेतु कोई भी इकरारनामा (Agreement) अभी तक नहीं किया गया है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बस अडडा फीस वसूली का कार्य बिना इकरारनामे के श्री टेक चन्द को देना नियमानुसार न होने के कारण अनुचित है। अतः नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 भून्तर मेले में तहबाजारी को ठेके पर देने के फलस्वरूप ₹1.78 लाख की वसूली शेषः–

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.17 तक मेले में तहबाजारी एकत्रीकरण का ठेका संविदाकारों को देने के फलस्वरूप ₹178111 की वसूली शेष थी, परन्तु वसूली करने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अतः तहबाजारी के रूप में उपरोक्त राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाएं।

Sr. No.	**Period**	**Contractor**	**Tendered**	**Amt. Recevied**	**Balance Amt.**	**Remark**
1	18.6.13 to 15.7.13	Sh. Chuni Lal	160000	125000	35000	Para 20 Audit Report 4/11 to 3/15

2	18.6.14 to 5.7.14	Sh. Teja Singh	95000	65000	30000	-do-
3	21/6/15 to 10.7.15	Sh. Lekh Raj	163111	50000	113111	--
					178111	

14 संविदाकारों से तहबाजारी की ₹7.04 लाख वसूली हेतु शेषः–

नगर पंचायत भून्तर द्वारा रेहड़ी व फड़ीदार दुकानदारों से तहबाजारी शुल्क के दैनिक एकत्रीकरण हेतु संविदाकारों को वार्षिक ठेके प्रदान किया जाता है नगर पंचायत द्वारा प्रदान सूचना व गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक संविदाकारों से ₹704500 की वसूली करना शेष थी। निम्न विवरण के अवलोकन से ऐसी प्रतीत होता कि नगर पंचायत द्वारा ठेकेदारों से वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस राशि की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। वसूली हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Sr. No.	**Period**	**Contractor**	**Tendered**	**Amt. Recevied**	**Balance Amt.**	**Remark**
1	15.12.12 to 14.11.13	Sh. Rakesh Kumar	625000	296250	328750	Audit Para 21 Audit Report 4/11 to 3/15
2	15.11.13 to 14.10.14	Sh. Chander Kumar	351000	150000	201000	-do-
3	15.11.14 to 22.9.15	Sh. Chuni Lal	230000	100000	130000	-
4	28.9.15 to 22.8.16	Sh. Khushi Ram	177000	132250	44750	-
5	10.1.17 to 9.12.17	Sh. Tek Chand	181000	181000	Nil	-
					704500	

15 भून्तर मेला 2016 में शीतल पेयजल पर ₹0.38 लाख व्यय करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि भून्तर मेला 2016, अवधि 14.6.16 से 17.6.16 तक मुख्य अतिथि व अन्य आमन्त्रित मेहमानों को बोतल पानी व शीतल पेयजल उपलब्ध करवाने पर वाउचर संख्या 13 माह 7/2016 द्वारा मै0 अवतार जूस बार भून्तर को ₹37770 का भुगतान किया गया जोकि अत्याधिक प्रतीत होता है। अतः मेले

में आमन्त्रित मुख्य अतिथि व आमन्त्रित अन्य मेहमानों की अनुमानित संख्या का विवरण तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि शीतल पेयजल पर किए गये व्यय राशि की जाँच सम्भव हो सके।

16 मेला ग्रांउड की लेवलिंग हेतु जे0सी0बी0 पर ₹0.97 लाख का भुगतानः–

मेला ग्राउण्ड की लेवलिंग करने हेतु रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 106, दिनांक 31.7.15 को वाउचर संख्या 32 माह 7/15 के तहत मै0 रन्जीत सिंह को जे0सी0बी0 का प्रयोग 15.4.15 से 10.5.15 तक 140 घंटे करने पर ₹97300 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बिल सं0	अवधि	कार्य के घन्टे	भुगतान राशि
1	88/20.4.15	15.4.15 से 19.4.15	30	20850
2	91/27.4.15	22.4.15 से 26.4.15	40	27800
3	95/5.5.15	29.4.15 से 3.5.15	40	27800
4	100/12.5.17	6.5.15 से 10.5.15	30	20850
			कुल	**₹97300**

लेवलिंग का कार्य जे0सी0बी0 द्वारा करवाने पर निम्न अनियमितताएं पाई गई जिसके प्रभाव में भुगतान के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकती।

1) इस कार्य हेतु किसी तकनीकी अधिकारी से प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

2) बिल वाउचर माप पुस्तिका में दर्ज न कर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता से सत्यापित नहीं करवाए गए।

3) दरों का औचित्य (Rate justification) तैयार नहीं किया गया व न ही निविदाएं आमन्त्रित की गई।

4) जे0सी0बी0 के प्रतिदिन के कार्य की अवधि कार्य आरम्भ करने का समय का विवरण तैयार नहीं किया गया व प्रतिदिन जे0सी0बी0 द्वारा कितना कार्य कितने वर्गमीटर में किया का उल्लेख बिलों में नहीं किया गया है।

अतः उक्त कार्यों के बिलों को तकनीकी अधिकारी से सत्यापित करवाकर व व्यय को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उत्तरदायी से की जानी सुनिश्चित की जाए। तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5) माप पुस्तिका में किये गये कार्य की प्रविष्टि दर्ज न करने के कारण वास्तविक भुगतान की गई राशि की जाँच नहीं की जा सकती क्या वास्तव में जितना कार्य किया गया है उतनी ही राशि का भुगतान दिया गया है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 69, दिनांक 17.7.17 द्वारा सचिव नगर पंचायत के स्पष्टीकरण मांगा गया था परन्तु उचित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हआ।

17 अग्रिम ₹0.50 लाख समायोजन हेतु शेषः–

नगर पंचायत के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 12 माह 7/15 द्वारा श्री अरूण कुमार को भून्तर मेले के आयोजन हेतु ₹50000 का अग्रिम राशि दी गई थी परन्तु दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया गया है। उकत अग्रिम राशि के समायोजन हेतु उचित पग उठाये जाए अन्यथा ₹50000 की वसूली श्री अरूण कुमार से की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अप्रयुक्त राशि को ब्याज सहित वसूली भी सुनिश्चित की जाये।

18 ₹7.20 लाख के स्ट्रीट लाईट उपकरणो के क्रय में अनियमितताः–

नगर पंचायत भून्तर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में ₹720074 का व्यय स्ट्रीट लाईटों के विभिन्न उपकरणों व अन्य मदों के क्रय हेतु किया गय था। स्ट्रीट लाईटों का सामान का क्रय करने हेतु पंचायत द्वारा नोटिस संख्या 98 दिनांक 15.2.16 द्वारा विभिन्न फर्मों से निविदाएं आमन्त्रित की गई थी। नगर पंचायत को तीन फर्मों ने अपनी निविदाएं सामान की आपूर्ति हेतु पंचायत कार्यालय में जमा करवाई जिसमें से M/S Ronak Communication शमशी को कम दरों के आधार पर पत्र संख्या 109 दिनांक 29.2.16 को स्ट्रीट लाईटों की मदों की आपूर्ति हेतु आंबटन एक वर्ष अवधि 1.2.16 से 31.1.17 तक का दिया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में क्रय ₹720074 के उपकरणों का व्यय विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बिल संख्या	फर्म का नाम	राशि
1	2058/28.2.16	M/S Ronak Communication Shamshi	89863
2	1996/1.3.16	-do-	89145
3	2079/12.5.16	-do-	37971
4	2113/12.5.16	-do-	77578
5	2156/11.8.16	-do-	234723
6	2182/1.10.16	-do-	190794
		कुल	₹720074

नगर पंचायत भून्तर द्वारा स्ट्रीट लाईटों के उपकरणों के क्रय हेतु अपनाई गई प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 98 से 102 के अनुसार पूर्ण नहीं की गई। इस प्रक्रिया में अनेक अनियमितताएं पाई गई जो निम्न प्रकार से हैः–

1) नगर पंचायत द्वारा उपकरणों की आपूर्ति हेतु फर्म को आंबटन पत्र संख्या 109, दिनांक 29.2.16 को किया गया जबकि आपूर्ति हेतु अवधि पूर्वप्रभाती तिथि 1.2.16 से निर्धारित की गई (1.2.16 से 31.1.17) जोकि तर्कसंगत नहीं है। अतः कार्य की अवधि 1.2.16 से निर्धारित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

2) नगर पंचायत द्वारा फर्म से क्रय विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति करने हेतु फर्म को कोई भी आपूर्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे जोकि नियमानुसार आपत्तिजनक है।

3) नगर पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाईटों के उपकरणों को क्रय करने हेतु कोई भी तकनीकी/वित्तीय प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

4) निविदाएं समाचार पत्रों के माध्यम से आमन्त्रित न करके नोटिस जारी कर मंगवाई गई जोकि अनुचित प्रक्रिया है।

5) जिस नोटिस के आधार पर निविदाएं आमन्त्रित की गई उसमें क्रय की जाने वाले उपकरणों की सूची मात्रा व कुल लागत का उल्लेख नहीं किया गया।

6) बिजली का सामान किस Make/Brand का होना चाहिए का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। फर्मों द्वारा भी अपनी निविदाओं में किसी भी Make/Brand का उल्लेख नहीं किया गया था। जिस कारण फर्मों द्वारा दी गई विभिन्न दरों का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव नहीं था।

7) पंचायत द्वारा प्राप्त निविदाओं को चार सदस्यों द्वारा 23.2.16 को खोला गया, जिसमें नगर पंचात प्रधान उपप्रधान व 2 पार्षद शामिल थे। निविदाओं को खोलने व स्वीकृत करने के लिए पंचायत के कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य किसी भी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

8) विभिन्न फर्मों द्वारा दी गई दरों के लिए तुलनात्मक विवणी (Comparative Statement) नहीं बनाई गई थी तथा क्रय बिजली के उपकरणों के लिए वारंटी अवधि का भी उल्लेख नहीं किया गया था।

9) क्रय मदों को किसी भी निरीक्षण समिति द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

10) प्रत्येक बिल से प्राप्त बिजली के उपकरणों को स्टॉक रजिस्टर VIII में एक ही पन्ने पर दर्ज किया गया था व उसी पृष्ठ पर उपयोग हेतु जारी करके स्टॉक शून्य दर्शाया गया था। बिजली का सामान किस–2 स्थान पर लगाया गया है को किसी भी तकनीकी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

अतः नगर पंचायत द्वारा क्रय स्ट्रीट लाईटों के उपकरणों जिसकी कुल लागत ₹720074 है कि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार न होने के कारण अनियमित है तथा क्रय मदों की दरों व गुणवता की उचित जाँच की आवश्यकता है।

18.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.45 लाख के L.E.D. 120 W बल्बों की खरीदः–

नगर पंचायत भून्तर द्वारा क्रय स्ट्रीट लाईटों के उपकरणों के बिलों की जाँच मे पाया गया कि पंचायत द्वारा 15, LED 120W बल्बों की खरीद ₹8500 प्रति बल्ब (13.75% Vat) की दर से बिल संख्या 2113, 2156 व 2182 द्वारा क्रय किए गए परन्तु बल्बों की खरीद हेतु न तो निविदाएं आमन्त्रित की गई व न ही अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण किया गया जोकि अनियमित है। जिसका उचित स्पष्टीकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18.2 LED बल्बों की खरीद पर वैट ₹2978 का अधिक भुगतानः–

नगर पंचायत द्वारा बिल सख्या 2058 व बिल संख्या 2156 द्वारा 46 एल0ई0डी0 बल्ब ₹740 की दर से क्रय किए गए। उक्त बिलो पर LED बल्ब पर 13.75% की दर से Vat Charge किया गया है जबकि बिल संख्या 2182 दिनांक 1.10.16 द्वारा 5% की दर से LED बल्ब पर वैट लगाया गया है। बल्बों की कुल लागत पर फर्म द्वारा Vat 5% के स्थान पर 13.75% की दर से गणना करके ₹2978 का अधिक भुगतान प्राप्त किया गया। अतः अधिक भुगतान M/S Ranak Communication से वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

18.3 आबंटन पत्र जारी करने से पूर्व बिजली की मदों की खरीदः–

स्ट्रीट लाईटों के उपकरणों के क्रय बिलों की जाँच में पाया गया कि फर्म को बिजली की मदों की आपूर्ति करने हेतु पत्र संख्या 109, दिनांक 29.2.16 को जारी किया गया जबकि फर्म द्वारा बिल संख्या 2058 दिनांक 28.2.16 द्वारा ₹89863 की मदों की आपूर्ति नगर पंचायत भून्तर की गई। इसी प्रकार फर्म द्वारा बिल संख्या 1996 दिनांक 1.3.16 को जारी किया गया जबकि बिल संख्या 2058, दिनांक 28.2.16 को जारी किया गया। अतः बिलों की क्रम संख्या व दिनांक मे अन्तर के कारणों को स्पष्ट किया जाए। क्योंकि उक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले सामान क्रय किया गया है तथा तदोपरान्त अन्य औपचारिकतायें पूर्ण की गई है तथा 1996 क्रम संख्या का बिल बाद में जारी किया गया तथा क्रम संख्या 2058 पहले जारी किया गया जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है तो

उक्त खरीद में संशय पैदा करता है। अतः आगामी अंकेक्षण के दौरान तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए।

19 ACPS (4-9-14) के तहत गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹0.88 लाख का अधिक भुगतान बारेः—

नगर पंचायत भून्तर के अंकेक्षण अवधि के दौरान सर्विस बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों की ACPs (4-9-14) के तहत पत्र संख्या Fin(PR)-B(7)-59/2010 दिनांक 9.8.12 द्वारा 4 वर्ष की नियमित सेवाकाल के बाद व नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 15, दिनांक 24.5.14 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण किया गया। परन्तु वेतन निर्धारण करते समय गलत गणना के कारण अधिक मूल वेतन का निर्धारण के फलस्वरूप ₹88434 का अधिक भुगतान किया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-74 दिनांक 29.7.17 द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया जिसके उत्तर में सचिव, नगर पंचायत द्वारा वेतन निर्धारण की पुनः जाँच करके व अधिक भुगतान होने पर वसूली करने का आश्वासन दिया गया। अतः निम्न कर्मचारियो के ACPs के तहत वेतन निर्धारण की पुनः जाँच करके अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	Name of Employee	Amt. (₹)
1	श्रीमती कमलेश, सफाई कर्मचारी	29478
2	श्री ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी	29478
3	श्रीमती गोगी, सफाई कर्मचारी	29478
	कुल	**₹88434**

(i) श्रीमती कमलेश, सफाई कर्मचारी

क्र0 सं0	अवधि	मूल वेतन जो दिनांक 9.8.12 से भुगतान किया गया	9.8.12 से देय मूल वेतन	अन्तर	डी0ए0 %	कुल	माह	अधिक भुगतान
1	9.8.12 से 31.8.12	6350	6120	230	72%	395	23 Days	293
2	1.9.12 से 31.12.12	6350	6120	230	72%	395	4	1580
3	1.1.13 से 30.6.13	6350	6120	230	80%	414	6	2484
4	1.7.13 से 31.7.13	6350	6120	230	90%	437	1	437
5	1.8.13 से 31.12.13	6590	6360	230	90%	437	5	2185

6	1.1.14 से 30.6.14	6590	6360	230	100%	460	6	2760
7	1.7.14 से 31.7.14	6590	6360	230	107%	460	1	460
8	1.8.14 से 31.12.14	68410	6600	240	107%	496	5	2480
9	1.1.15 से 30.6.15	6840	6600	240	113%	511	6	3066
10	1.7.15 से 31.7.15	640	6600	240	119%	526	1	526
11	1.8.15 से 31.12.15	7100	6850	250	119%	547	5	2735
12	1.1.16 से 30.6.16	7100	6850	250	125%	562	6	3372
13	1.7.16 से 31.7.16	7100	6850	250	127%	568	1	568
14	1.8.16 से 31.12.16	7370	7110	260	127%	590	5	2950
15	1.7.17 से 30.6.17	7370	7110	260	130%	598	6	3588
							कुल	**₹29478**
(ii)	**श्री ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी**							
क्र0 सं0	**अवधि**	**मूल वेतन जो दिनांक 9.8.12 से भुगतान किया गया**	**9.8.12 से देय मूल वेतन**	**अन्तर**	**डी0ए0 %**	**कुल**	**माह**	**अधिक भुगतान**
1	9.8.12 से 31.8.12	6350	6120	230	72%	395	23 Days	293
2	1.9.12 से 31.12.12	6350	6120	230	72%	395	4	1580
3	1.1.13 से 30.6.13	6350	6120	230	80%	414	6	2484
4	1.7.13 से 31.7.13	6350	6120	230	90%	437	1	437
5	1.8.13 से 31.12.13	6590	6360	230	90%	437	5	2185
6	1.1.14 से 30.6.14	6590	6360	230	100%	460	6	2760
7	1.7.14 से 31.7.14	6590	6360	230	107%	460	1	460

8	1.8.14 से 31.12.14	68410	6600	240	107%	496	5	2480
9	1.1.15 से 30.6.15	6840	6600	240	113%	511	6	3066
10	1.7.15 से 31.7.15	640	6600	240	119%	526	1	526
11	1.8.15 से 31.12.15	7100	6850	250	119%	547	5	2735
12	1.1.16 से 30.6.16	7100	6850	250	125%	562	6	3372
13	1.7.16 से 31.7.16	7100	6850	250	127%	568	1	568
14	1.8.16 से 31.12.16	7370	7110	260	127%	590	5	2950
15	1.7.17 से 30.6.17	7370	7110	260	130%	598	6	3588
							कुल	₹29478
(iii)	**श्रीमती गोगी, सफाई कर्मचारी**							
क्र0 सं0	**अवधि**	**मूल वेतन जो दिनांक 9.8.12 से भुगतान किया गया**	**9.8.12 से देय मूल वेतन**	**अन्तर**	**डी0ए0 %**	**कुल**	**माह**	**अधिक भुगतान**
1	9.8.12 से 31.8.12	6350	6120	230	72%	395	23 दिन	293
2	1.9.12 से 31.12.12	6350	6120	230	72%	395	4	1580
3	1.1.13 से 30.6.13	6350	6120	230	80%	414	6	2484
4	1.7.13 से 31.7.13	6350	6120	230	90%	437	1	437
5	1.8.13 से 31.12.13	6590	6360	230	90%	437	5	2185
6	1.1.14 से 30.6.14	6590	6360	230	100%	460	6	2760
7	1.7.14 से 31.7.14	6590	6360	230	107%	460	1	460
8	1.8.14 से 31.12.14	68410	6600	240	107%	496	5	2480
9	1.1.15 से 30.6.15	6840	6600	240	113%	511	6	3066

10	1.7.15 से 31.7.15	640	6600	240	119%	526	1	526
11	1.8.15 से 31.12.15	7100	6850	250	119%	547	5	2735
12	1.1.16 से 30.6.16	7100	6850	250	125%	562	6	3372
13	1.7.16 से 31.7.16	7100	6850	250	127%	568	1	568
14	1.8.16 से 31.12.16	7370	7110	260	127%	590	5	2950
15	1.7.17 से 30.6.17	7370	7110	260	130%	598	6	3588
							कुल	**₹29478**

19.1 वार्षिक वेतन वृद्धि एक माह देर से लगाने बारेः–

नगर पंचायत भून्तर में श्री ओम प्रकाश व श्रीमती कमलेश देवी, सफाई कर्मचारियों की सर्विस बुक की जाँच में पाया गया कि उक्त कर्मचारियों ने नगर पंचायत भून्तर में अपनी नियमित सेवाएं दिनांक 27.7.07 से आरम्भ की थी परन्तु उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि हर वर्ष अगस्त माह की पहली तारीख से लगाई जा रही है जबकि नियमानुसार वेतन वृद्धि जुलाई माह की पहली तारीख से लगाई जानी चाहिए। अतः वेतन वृद्धि एक माह देर से लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19.2 सर्विस बुक में दर्ज मूल वेतन व वेतन बिलों के मूल वेतन में अन्तरः–

नगर पंचायत भून्तर में श्रीमती नसीब कौर, सफाई कर्मचारी की सर्विस बुक की जाँच में पायाग या कि श्रीमती नसीब कौर का मूल वेतन 1.6.15 को ₹13140 व 1.6.16 को ₹13600 था जबकि 1.6.15 के वेतन बिलों में श्रीमती नसीब कौर को ₹12290 व 1.6.16 के वेतन बिलों में ₹13140 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा था। अतः सर्विस बुक में निर्धारित मूल वेतन के अनुसार वेतन बिलों की गणना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 चार वार्डों की सफाई का ठेका ₹0.98 लाख प्रतिमाह पर देने में पाई अनियमितताएँः–

नगर पंचायत भून्तर द्वारा पत्र संख्या 811 दिनांक 7.10.15 द्वारा अवधि 1.11.15 से 30.9.16 तक चार वार्डों की सफाई व्यवस्था का ठेका देने हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई थी तथा कम दर के आधार पर श्री अशोक कुमार को उक्त ठेके का कार्य सौंपा गया।

उक्त कार्य हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई भी नियम व शर्तों का निर्धारण नहीं किया गया था जोकि नियमानुसार अनियमित है। अतः उक्त ठेके में निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

1) सफाई के लिए 7 वाडों में से 4 वार्ड कौन से है?

2) सफाई के लिए कितने कर्मचारियों को काम में लगाया जाना आवश्यक है?

3) यदि कर्मचारियों की संख्या तय कर्मचारियों से कम होगी तो राशि में से किस दर से कटौती होगी?

4) सफाई का सामान कौन देगा?

5) सफाई कार्य का निरीक्ष कौन करेगा व ठेकेदार के बिलों को कौन सत्यापित करेगा?

6) सफाई के कार्य व कर्मचारियों का कोई भी लेखा रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया।

7) ठेकेदार को किए गए भुगतान बिलों को किसी भी सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया। अतः चार वार्डों की सफाई का कार्य का ठेका देने से पूर्व नियम व शर्तों का निर्धारण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ठेकेदार के प्रत्येक बिल का सत्यापन सक्षम अधिकारी से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-72 दिनांक 25.7.17 के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत भून्तर द्वारा सफाई ठेके की नियम व शर्तों को भविष्य में तय करने का आश्वासन अंकेक्षण को दिया गया।

21 संगम गुडस कैरियर ओटो आपरेटर यूनियन, भून्तर को ₹0.40 लाख के भुगतान बारेः–

वाउचर संख्या 24, माह 7/16 की जाँच में पाया गया कि मै0 संगम गुडस कैरियर ओटो आपरेटर यूनियन भून्तर को भून्तर मेला 2016 के खेलों का अयोजन करने व किए गए व्ययों हेतु ₹40337 का भुगतान किया गया जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

1) मेले में खेलों के आयोजन हेतु 9 ट्रैक्टर रेत ₹18000 में क्रय किए गए परन्तु रेत क्रय का कोई भी बिल उपलब्ध नहीं था।

2) ₹1402 की क्रय मदों के वास्तविक बिल संलग्न नहीं थे।

3) कबडडी के मैचों के लिए 6 रैफरी व बालीबाल मैचों के लिए 4 रैफरी को ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से ₹15000 का भुगतान किया गया। मेले में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया व कुल कितने मैच खेले गए तथा मैच रैफरी किस संस्था से सम्बन्धित थे का कोई भी उल्लेख व्यय विवरणों में नहीं किया गया है।

अतः भून्तर मेला 2016 में खेलों का आयोजन मै0 संगम गुडस कैरियर ओटो आपरेटर यूनियन के माध्यम से करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बिना बिलों से किया गया भुगतान अनियमित है जिसका पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए अन्यथा बिना वास्तविक बिलों से किये गए भुगतान की वसूली उत्तरदायी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.07 लाख का भुगतान बारे–

नगर पंचायत भून्तर के व्यय वाउचर संख्या 3 माह 7/15 व वाउचर संख्या 13 माह 7/16 की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ही निम्न फर्मों को ₹107520 का भुगतान किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 98 से 102 के विपरीत होने के कारण अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त होटल अमित भून्तर के द्वारा बिल में बिल क्रम संख्या व दिनांक का भी उल्लेख नहीं किया गया था। अतः निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ₹107520 के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा होटल अमित से उचित बिल प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	बिल संख्या	फर्म का नाम	वस्तु का नाम	राशि
1	3/7–15	Ref No. HA/001/30615 Dated Nil	M/S Hotel Amit Bhunter	Dinner for 310 Person during Mela	69750
2	13/7–16	115/14.6.16 117/15.6.16 118/16.6.16 119/17.6.16	M/S Avtar Jiuce Bar, Bhunter	Refreshments during mela (water Cold Drinks Disposal Glaner etc.)	8750 9220 9360 10440
				कुल	**₹107520**

इसके अतिरिक्त मै0 होटल अमित का वास्तविक बिल प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में क्रय सम्बन्धित सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

23 वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

नगर पंचायत भून्तर में अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों से व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार भुगतान किए गए है परन्तु निम्न भुगतानों की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें (APR) जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः वास्तविक

प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	बिल सं0	फर्म का नाम	राशि (₹)
1	98/3.7.15	882/19.6.15	M/S Bhuvneshwari Florist, Bhuntar	13200
2	98/3.7.15	Ref No. HA/001/30615, Dated Nil	M/S Hotel Amit Bhunter	69750
3	105/31.7.15	Nil	Smt. Seema Devi, Contractor	261000
4	106/31.7.15	Vr.No. 32 Month 7/15	M/S Ranjeet Singh Bhunter	97300
5	13/7.7.16	89/18.6.16	M/S Mrikula offset Printing Press, Bhunter	35721
6	15/7.7.16	Vr. No. 10, Month 7/15	D.C. Kullu	474000

24 विडियोग्राफी करवाने पर स्वीकृत दर से ₹1100 का अधिक भुगतानः—

नगर पंचायत के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 8.6.16 को मेले में वीडियोग्राफी करवाने हेतु मै0 संजय डिजिटल स्टूडियो की निविदा ₹1950 प्रतिदिन स्वीकृत की गई थी, परन्तु वाउचर संख्या 5 माह 7/16 द्वारा मै0 एस कुमार स्टूडियो को ₹2500 प्रतिदिन के हिसाब से ₹5000 का भुगतान किया गया जोकि स्वीकृत दर से ₹550 प्रतिदिन व कुल ₹1100 अधिक था। अतः अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली उत्तरदायी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 सी0पी0एफ0 के खातों के रख—रखाव बारेः—

नगर पंचायत भून्तर में सी0पी0एफ0 लैजर की जाँच में पाया गया कि लैजर को 31.3.16 तक ही पूर्ण किया गया है तथा कर्मचारी हिस्सा व नियोक्ता हिस्सा को जोड़कर लैजर में इकटठी प्रविष्टि की गई है तथा कुल राशि कर्मचारियों की पास बुकों में जमा की गई थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/11 से 3/15 के पैरा नं0 23 में भी अपेक्षित कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया था परन्तु इस पर कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि कर्मचारी व नियोक्ता हिस्सा पृथक—2 लैजर

में दर्ज, किया जाए व नियोक्ता हिस्सा सचिव, नगर पंचायत की पास बुक में अलग से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

26 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

27 **निष्कर्षः—** लेखों व स्टॉक रजिस्टरों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याःफिन (एल0ए0) V (30)/2011 खण्ड—2—7288—7289 दिनांक, 26.12.2017 शिमला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0, शिमला—171002 को पैरा संख्या **1 (ख)** वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 सचिव, नगर पंचायत भून्तर (कुल्लू), जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

हस्ता / —
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

परिशिष्ट "ङ"

नगर पंचायत भून्तर, जिला कुल्लू अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2017 के पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 11/1975 से 3/1981

1	पैरा–5 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (iii)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा–7	अनिर्णीत
7	पैरा–10 (ii)	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (ii)	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (i)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (ii)	अनिर्णीत
11	पैरा–15	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1981 से 1982

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (iii)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (iv)	अनिर्णीत
4	पैरा–6	अनिर्णीत
5	पैरा–7	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (ii)	अनिर्णीत
9	पैरा–11	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (i)	अनिर्णीत
11	पैरा–13 (i)	अनिर्णीत
12	पैरा–13 (ii)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1984

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (सी) (i)	अनिर्णीत

3	पैरा–5 (सी) (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (सी) (iv)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (डी)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (ई)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (vi)	अनिर्णीत
10	पैरा–7	अनिर्णीत
11	पैरा–8 (iii)	अनिर्णीत
12	पैरा–9	अनिर्णीत
13	पैरा–11	अनिर्णीत
14	पैरा–12	अनिर्णीत
15	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
16	पैरा–17 (i)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (iii)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (v)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (vi)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (vii)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (viii)	अनिर्णीत
10	पैरा–6	अनिर्णीत
11	पैरा–7	अनिर्णीत
12	पैरा–8	अनिर्णीत
13	पैरा–9 (ii)	अनिर्णीत
14	पैरा–9 (iii)	अनिर्णीत

15	पैरा–10 (i)	अनिर्णीत
16	पैरा–10 (ii)	अनिर्णीत
17	पैरा–10 (iii)	अनिर्णीत
18	पैरा–10 (iv)	अनिर्णीत
19	पैरा–11 (i)	अनिर्णीत
20	पैरा–12	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1985 से 03/1986

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (iii)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (v)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (vi)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (vii)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (viii)	अनिर्णीत
10	पैरा–6	अनिर्णीत
11	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
12	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
13	पैरा–7 (iii)	अनिर्णीत
14	पैरा–8	अनिर्णीत
15	पैरा–9	अनिर्णीत
16	पैरा–10	अनिर्णीत
17	पैरा–11	अनिर्णीत
18	पैरा–12 (i)	अनिर्णीत
19	पैरा–12 (ii)	अनिर्णीत
20	पैरा–13	अनिर्णीत

N.P. Bhunter

21	पैरा—14	अनिर्णीत
22	पैरा—15 (iv)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1986 से 03/1991

1	पैरा—3	अनिर्णीत
2	पैरा—4	अनिर्णीत
3	पैरा—5	अनिर्णीत
4	पैरा—6	अनिर्णीत
5	पैरा—7 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा—7 (ख) (i)	अनिर्णीत
7	पैरा—7 (ख) (ii)	अनिर्णीत
8	पैरा—7 (ख) (iii)	अनिर्णीत
9	पैरा—8	अनिर्णीत
10	पैरा—9	अनिर्णीत
11	पैरा—10	अनिर्णीत
12	पैरा—11 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा—11 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा—11 (ग)	अनिर्णीत
15	पैरा—11 (घ)	अनिर्णीत
16	पैरा—12 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा—12 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा—12 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा—13 (i)	अनिर्णीत
20	पैरा—13 (ii)	अनिर्णीत
21	पैरा—13 (iii)	अनिर्णीत
22	पैरा—14	अनिर्णीत
23	पैरा—15	अनिर्णीत
24	पैरा—16 (क)	अनिर्णीत
25	पैरा—16 (ख)	अनिर्णीत
26	पैरा—17	अनिर्णीत
27	पैरा—18 (i)	अनिर्णीत
28	पैरा—18 (ii)	अनिर्णीत

N.P. Bhunter

29	पैरा–18 (iii)	अनिर्णीत
30	पैरा–19 (क) (i)	अनिर्णीत
31	पैरा–19 (क) (ii)	अनिर्णीत
32	पैरा–19 (क) (iii)	अनिर्णीत
33	पैरा–19 (क) (iv)	अनिर्णीत
34	पैरा–19 (ख) (i)	अनिर्णीत
35	पैरा–19 (ख) (ii)	अनिर्णीत
36	पैरा–19 (ग)	अनिर्णीत
37	पैरा–19 (घ)	अनिर्णीत
38	पैरा–19 (ङ) (i)	अनिर्णीत
39	पैरा–19 (ङ) (ii)	अनिर्णीत
40	पैरा–19 (ङ) (iii)	अनिर्णीत
41	पैरा–19 (ङ) (iv)	अनिर्णीत
42	पैरा–19 (ङ) (v)	अनिर्णीत
43	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत
44	पैरा–20 (ख)(i)	अनिर्णीत
45	पैरा–20 (ख)(ii)	अनिर्णीत
46	पैरा–20 (ग)	अनिर्णीत
47	पैरा–20 (घ)	अनिर्णीत
48	पैरा–20 (ङ)	अनिर्णीत
49	पैरा–20 (च)	अनिर्णीत
50	पैरा–20 (छ)	अनिर्णीत
51	पैरा–20 (ज)	अनिर्णीत
52	पैरा–20 (झ)	अनिर्णीत
53	पैरा–20 (ञ)	अनिर्णीत
54	पैरा–20 (प)	अनिर्णीत
55	पैरा–20 (फ)	अनिर्णीत
56	पैरा–20 (व)	अनिर्णीत
57	पैरा–21 (क)	अनिर्णीत
58	पैरा–21 (ख)	अनिर्णीत
59	पैरा–21 (ग)	अनिर्णीत

N.P. Bhunter

60	पैरा–21 (घ)	अनिर्णीत
61	पैरा–21 (ङ)	अनिर्णीत
62	पैरा–22 (क) (i)	अनिर्णीत
63	पैरा–22 (क) (ii)	अनिर्णीत
64	पैरा–22 (क) (iii)	अनिर्णीत
65	पैरा–22 (ख)	अनिर्णीत
66	पैरा–22 (ग) (i)	अनिर्णीत
67	पैरा–22 (ग) (ii)	अनिर्णीत
68	पैरा–22 (घ)	अनिर्णीत
69	पैरा–22 (ङ)	अनिर्णीत
70	पैरा–22 (च)	अनिर्णीत
71	पैरा–22 (छ)	अनिर्णीत
72	पैरा–22 (ज)	अनिर्णीत
73	पैरा–22 (झ)	अनिर्णीत
74	पैरा–22 (ञ)	अनिर्णीत
75	पैरा–22 (ट)	अनिर्णीत
76	पैरा–23 (क) (i)	अनिर्णीत
77	पैरा–23 (क) (ii)	अनिर्णीत
78	पैरा–23 (ख)	अनिर्णीत
79	पैरा–24	अनिर्णीत
80	पैरा–25	अनिर्णीत
81	पैरा–27	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 03/1994

1	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (iii)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (i)	अनिर्णीत

9	पैरा–14 (ii)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (iii)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (iv)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (vi)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (x)	अनिर्णीत
14	पैरा–15 (2) (ii)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (4) (i)	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (4) (ii)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (4) (iii)	अनिर्णीत
18	पैरा–15 (4) (iv)	अनिर्णीत
19	पैरा–15 (4) (v)	अनिर्णीत
20	पैरा–15 (5) (i)	अनिर्णीत
21	पैरा–15 (5) (ii)	अनिर्णीत
22	पैरा–15 (5) (iii)	अनिर्णीत
23	पैरा–17	अनिर्णीत
24	पैरा–18 (प)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1998

1	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (iv)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (v)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (ii)	अनिर्णीत
11	पैरा–9 (iii)	अनिर्णीत
12	पैरा–9 (iv)	अनिर्णीत
13	पैरा–10	अनिर्णीत
14	पैरा–12	अनिर्णीत

N.P. Bhunter

15	पैरा–14	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (iii)	अनिर्णीत
18	पैरा–15 (viii)	अनिर्णीत
19	पैरा–16 (i)(i)	अनिर्णीत
20	पैरा–16 (i)(ii)	अनिर्णीत
21	पैरा–16 (i)(iii)	अनिर्णीत
22	पैरा–16 (i)(iv)	अनिर्णीत
23	पैरा–16 (i)(v)	अनिर्णीत
24	पैरा–16 (i)(vi)	अनिर्णीत
25	पैरा–16 (i)(vii)	अनिर्णीत
26	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
27	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
28	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
29	पैरा–18 (7)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1998 से 03/2003

1	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
9	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
10	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत
11	पैरा–8 (ii)	अनिर्णीत
12	पैरा–8 (iii)	अनिर्णीत
13	पैरा–8 (iv)	अनिर्णीत
14	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत
15	पैरा–9 (ii)	अनिर्णीत

16	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत
20	पैरा–10 (5)	अनिर्णीत
21	पैरा–10 (6)	अनिर्णीत
22	पैरा–10 (7)	अनिर्णीत
23	पैरा–10 (8)	अनिर्णीत
24	पैरा–10 (9)	अनिर्णीत
25	पैरा–10 (10)(i)	अनिर्णीत
26	पैरा–10 (10)(ii)	अनिर्णीत
27	पैरा–11 (i)	अनिर्णीत
28	पैरा–11 (ii)	अनिर्णीत
29	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
30	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
31	पैरा–13	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2007

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (iii)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (v)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (vii)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (ix)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (x)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (xi)	अनिर्णीत
13	पैरा–5	अनिर्णीत
14	पैरा–5 (i)	अनिर्णीत

15	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत
16	पैरा–5 (iii)	अनिर्णीत
17	पैरा–5 (iv)	अनिर्णीत
18	पैरा–5 (v)	अनिर्णीत
19	पैरा–5 (vi)	अनिर्णीत
20	पैरा–5 (vii)	अनिर्णीत
21	पैरा–5 (viii)	अनिर्णीत
22	पैरा–5 (ix)	अनिर्णीत
23	पैरा–5 (x)	अनिर्णीत
24	पैरा–5 (xi)	अनिर्णीत
25	पैरा–5 (xii)	अनिर्णीत
26	पैरा–5 (xiii)	अनिर्णीत
27	पैरा–5 (xiv)	अनिर्णीत
28	पैरा–5 (xv)	अनिर्णीत
29	पैरा–5 (xvi)	अनिर्णीत
30	पैरा–5 (xvii)	अनिर्णीत
31	पैरा–5 (xviii)	अनिर्णीत
32	पैरा–5 (xix)	अनिर्णीत
33	पैरा–5 (xx)	अनिर्णीत
34	पैरा–5 (xxi)	अनिर्णीत
35	पैरा–5 (xxii)	अनिर्णीत
36	पैरा–5 (xxiii)	अनिर्णीत
37	पैरा–5 (xxiv)	अनिर्णीत
(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 03/2011		
1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–8.1	अनिर्णीत
4	पैरा–8.2	अनिर्णीत
5	पैरा–8.3	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत

8	पैरा–15	अनिर्णीत
9	पैरा–16	अनिर्णीत
10	पैरा–17	अनिर्णीत
11	पैरा–18	अनिर्णीत
12	पैरा–19	अनिर्णीत
13	पैरा–20	अनिर्णीत
14	पैरा–21	अनिर्णीत
15	पैरा–22	अनिर्णीत
16	पैरा–23	अनिर्णीत
17	पैरा–24	अनिर्णीत
18	पैरा–24.1	अनिर्णीत
19	पैरा–24.2	अनिर्णीत
20	पैरा–24.3	अनिर्णीत
21	पैरा–25 (i)	अनिर्णीत
22	पैरा–25 (ii)	अनिर्णीत
23	पैरा–26	अनिर्णीत
24	पैरा–27	अनिर्णीत
25	पैरा–28	अनिर्णीत
26	पैरा–29	अनिर्णीत
27	पैरा–30	अनिर्णीत
28	पैरा–31	अनिर्णीत
29	पैरा–32	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/15

1	पैरा–6.1	अनिर्णीत
2	पैरा–6.2	निर्णीत
3	पैरा–7	निर्णीत व पुनः प्रारूपित
4	पैरा–7.1	अनिर्णीत (क्र0सं0 4 व 6 निर्णीत क्र0सं0 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 व 10 जाँच के बाद)
5	पैरा–8	निर्णीत व पुनः प्रारूपित
6	पैरा–8.1	निर्णीत व पुनः प्रारूपित
7	पैरा–9	निर्णीत व पुनः प्रारूपित
8	पैरा–10	निर्णीत व पुनः प्रारूपित

9	पैरा—11	अनिर्णीत
10	पैरा—12 व 12.1	अनिर्णीत
11	पैरा—13	अनिर्णीत
12	पैरा—14	अनिर्णीत
13	पैरा—15	अनिर्णीत
14	पैरा—16	अनिर्णीत
15	पैरा—17	अनिर्णीत
16	पैरा—18	अनिर्णीत
17	पैरा—19	अनिर्णीत
18	पैरा—20	निर्णीत व पुनः प्रारूपित
19	पैरा—21	निर्णीत व पुनः प्रारूपित
20	पैरा—22	अनिर्णीत
21	पैरा—23	निर्णीत व पुनः प्रारूपित
22	पैरा—24	अनिर्णीत

N.P. Bhunter